संख्या—भा0स0 105/14—2—2016—800 (71)/2016

प्रेषक,

भूपेन्द्र बहादुर सिंह,
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी,
उ0प्र0,लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग—2

लखनऊ, दिनांक 19 मई, 2016

विषयः— जनपद जालौन में उरई (बिलराया—पनवाड़ी राजमार्ग संख्या—21 के किमी0 352.00 से 370.45 एवं जालौन बाईपास होते हुये झांसी भोगनीपुर—कानपुर मार्ग एन0एच0—27 के किमी0 218.400 तक) फोर लेन के निर्माण हेतु 35.71435 हे0 संरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 2530 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन को सम्बोधित एवं आपको पृष्ठांकित भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र संख्या—8बी/06/37/2016/एफसी/81, दिनांक 13—5—2016 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विषयगत प्रकरण में कुल 23 बिन्दुओं पर की गयी आपत्तियों के का निरतारण कर संशोधित प्रस्ताव प्रेषित किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2— इस सम्बन्ध में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र दिनांक 13—5—2016 की छायाप्रति सुलभ संदर्भ हेतु प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ द्वारा लगायी गयी 23 बिन्दुओं पर बिन्दुवार कमियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव यथाशीघ्र शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः—यथोपरि।

भवदीय,

B Singh

(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनु सचिव।